

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

संख्या-9/प्रो0-02-02/2016, सा0प्र0.....2870...../भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

- (1) यह नियमावली 'बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।
- (3) बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2005 के अधिसूचित होने की तिथि अर्थात् दिनांक-30.11.2005 से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2005 के नियम-9(6) का विलोपन:-

उक्त नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) का नियम-9(6) विलोपित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-9/प्रो0-02-02/2016, सा0प्र0.....2870...../पटना-15, दिनांक-.....1.3.19.....
प्रतिलिपि-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-9/प्रो0-02-02/2016, सा0प्र0.....2870...../पटना-15, दिनांक-.....1.3.19.....
प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलापदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



28.2.19
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

संख्या-9/विविध-14-13/2016सा0प्र0.....2871...../अधिसूचना संख्या- 2870 दिनांक 1.3.19
...../ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया
जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत
पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(हिमांशु कुमार राय)
28.2.19
सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department
NOTIFICATION

No. 9/Pro-02-02/2016 GAD-...../ In exercise of the powers conferred
by proviso to Article 309 of the Constitution of India, Governor of Bihar is pleased to make
the following amendment in the Bihar Drivers (Appointment and Service Conditions) Rules,
2005 as amended from time to time):-

1. Short title and commencement.-

(1) These Rules may be called "the Bihar Drivers (Appointment and Service
Conditions) (Third amendmment) Rules, 2019.

(2) It extends to the secretariat departments, attached offices and Mufassil Office
at different levels of the State Government.

(3) It shall come into force from the date, the Bihar Drivers (Appointment and
Service Conditions) Rules, 2005 got notified i.e.-30.11.2005

2. Deletion of Rule 9(6) of the said rules-

Rules 9(6) of the said rules, 2005 (as amended from time to time) shall be
deleted.

By order of Governor of Bihar,

Sd/-

(Himanshu Kumar Rai)

Joint secretary to Government

Memo No.- 9/Pro-02-02/2016 GAD-..2871../Patna-15,Dated....1.3.19.....


Copy forwarded to E-Gazette, Cell Finance Department, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of Government Gazette.

Sd/-

Joint secretary to Government

Memo No.- 9/Pro-02-02/2016 GAD-287/Patna-15, Dated...1.3.19.....

Copy forwarded to All Additional Chief Secretary/All Head of the Departments/Secretary to the Governor/All Divisional Commissioner/All District Magistrate for information and necessary action.



28.2.19
Joint secretary to Government